भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-228

उत्तर देने की तारीख 21 जुलाई, 2025

सोमवार, 30 आषाढ़, 1947 (शक)

तमिलनाडु में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लाभार्थी

228. श्री मलैयारासन डी.:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना(पीएमकेवीवाई)के प्रारम्भ से अब तक तमिलनाडु राज्य में प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्तियों की कुल क्षेत्रवार संख्या कितनी है;

(ख) पीएमकेवीवाई के अंतर्गत तमिलनाडु में स्थापित प्रशिक्षण केन्द्रों और कौशल केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार आगामी वर्षों में ऐसे केन्द्रों/कौशल केन्द्रों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रही है और यदि हाँ,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत आवंटित,वितरित और उपयोग की गई कुल निधि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) पीएमकेवीवाई में महिलाओं,दिव्यांग व्यक्तियों और हाशिए पर स्थित समुदायों की भागीदारी बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा अब तक कौन से उपाय किए गए हैं और इन पहलों के क्या परिणाम रहे हैं; और

(च) क्या सरकार ने विशेष रूप से दूरदराज़ के क्षेत्रों में पीएमकेवीवाई की पहुँच और प्रभाव को विस्तार देने हेतु आगामी वर्षों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं और यदि हाँ,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री जयन्त चौधरी)

क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) वर्ष 2015 से अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, देश भर के युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से पुनकौशलीकरण और कौशलोन्नयन के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

तमिलनाडु में पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, कुल 8,85,134 व्यक्तियों को स्थापना के बाद से दिनांक 30 जून 2025 तक प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया है, जिनमें से 7,15,802 को प्रमाणित किया जा चुका है। तमिलनाडु में पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित और प्रमाणित उम्मीदवारों का क्षेत्रवार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

ख) तमिलनाडु में पीएमकेवीवाई के अंतर्गत स्थापित प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

प्रशिक्षण केंद्र	पीएमकेवीवाई1.0	पीएमकेवीवाई 2.0	पीएमकेवीवाई 3.0	पीएमकेवीवाई 4.0 (दिनांक 30 जून 2025 तक)
कुल	1145	1071	241	490

पीएमकेवीवाई की शुरुआत से अब तक तमिलनाडु में 40 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके) स्थापित किए जा चुके हैं। इनमें से 23 पीएमकेके वर्तमान में कार्यरत हैं।

ग) पीएमकेवीवाई योजना का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार और उद्योग के लिए तैयार कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। ये योजनाएँ माँग आधारित हैं और देश भर में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यकतानुसार नए प्रशिक्षण केंद्र (टीसी) स्थापित/नियोजित किए जाते हैं।

घ) पीएमकेवीवाई (पीएमकेवीवाई 1.0 (2015-16) और पीएमकेवीवाई 4.0 (2022-26) को छोड़कर) के दो घटक थे, अर्थात् केंद्र प्रायोजित केंद्र प्रबंधित (सीएससीएम) घटक जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है और केंद्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित (सीएसएसएम) घटक जिसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। केंद्रीय घटक (सीएससीएम) के अंतर्गत राज्यवार निधि आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। तमिलनाडु राज्य में योजना की शुरुआत से लेकर दिनांक 30 जून, 2025 तक पीएमकेवीवाई के सीएससीएम घटक के तहत उपयोग की गई निधि और सीएसएसएम घटक के तहत जारी और उपयोग की गई निधि का विवरण निम्नानुसार है:-

योजना	केंद्रीय घटक		राज्य घटक	
	जारी निधि	उपयोग की गई निधि	जारी निधि	उपयोग की गई निधि
	(करोड़ रुपये में)	(करोड़ रुपये में)	(करोड़ रुपये में)	(करोड़ रुपये में)
पीएमकेवीवाई 1.0	केंद्रीय घटक के अंतर्गत राज्य-वार संवितरण का कोई प्रावधान नहीं है	105.55	-	-
पीएमकेवीवाई 2.0		284.40	68.86	52.00
पीएमकेवीवाई 3.0		18.37	-	-
पीएमकेवीवाई 4.0		99.21	-	-
योग		**507.53**	**68.86**	**52.00**

ङ) इस योजना में विशेष परियोजनाओं का प्रावधान है जिनका लक्ष्य कम प्रतिनिधित्व वाले सामाजिक समूहों -अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/दिव्यांगजन और आकांक्षी जिलों, वामपंथी उग्रवाद, जनजातीय जिलों आदि जैसे भौगोलिक क्षेत्रों को शामिल करना है। कौशल विकास कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, जनजातीय समुदायों और अन्य सीमांत समूहों पर विशेष ध्यान दिया गया है। समावेशिता बढ़ाने के लिए, सामान्य मानदंडों में परिभाषित विशेष समूहों (महिलाओं और दिव्यांगजन) और विशेष क्षेत्रों के भीतर और बाहर प्रशिक्षण के लिए आवास और भोजन (बी एंड एल) और परिवहन सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। सामान्य मानदंडों के अनुसार गैर-आवासीय प्रशिक्षण के मामले में विशेष समूहों के लिए परिवहन सुविधा भी अनुमत है।

पीएमकेवीवाई योजना के अंतर्गत अपनी शुरुआत से अब तक तमिलनाडु में कुल 5,44,604 महिलाओं, 1,542 दिव्यांगजनों, 1,21,184 अनुसूचित जाति (एससी) और 7,971 अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लोगों को प्रशिक्षित/उन्मुख किया जा चुका है।

च) सरकार देश भर में पीएमकेवीवाई 4.0 के कार्यान्वयन और विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रही है। इन प्रयासों का उद्देश्य कौशल अंतराल को दूर करना, रोजगार क्षमता में सुधार करना और आर्थिक विकास को समर्थन देना है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

i. उद्योग 4.0, वेब 3.0, एआर/वीआर, जलवायु परिवर्तन, सर्कुलर इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी और ऊर्जा परिवर्तन जैसे नए युग के कौशल पर ध्यान केंद्रित करना।
ii. मूल्यांकन में नवाचारों और बेहतर निगरानी के माध्यम से पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) के तहत पुनः कौशलीकरण और कौशलोन्नयन पर जोर।
iii. अभ्यर्थियों को बेहतर व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए ऑन-जॉब-ट्रेनिंग (ओजेटी) पर अधिक निर्भरता।
iv. उद्योग जगत के साथ साझेदारी में पाठ्यक्रम शुरू करके पाठ्यक्रम में लचीलापन।
v. शैक्षणिक संस्थानों जैसे आईटीआई/ स्कूल/ कॉलेज/ विश्वविद्यालय/ केंद्र और राज्य सरकार के संस्थानों आदि के साथ उपलब्ध बुनियादी ढांचे का परस्पर उपयोग।
vi. सेमीकंडक्टर, 5जी, एआई, ग्रीन हाइड्रोजन, ईवी, सौर मिशन, केयर, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में क्लस्टरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और नीति घोषणाओं के अनुरूप प्रशिक्षण।

मंत्रालय ने स्किल इंडिया डिजिटल (एसआईडी) प्लेटफॉर्म भी आरंभ किया है, जो कौशल संवर्धन के लिए एक व्यापक और सुलभ प्लेटफॉर्म है, जो असंगठित क्षेत्र को कवर करते हुए घरेलू कामगार क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश के युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक कौशल पाठ्यक्रम, जॉब के अवसर और उद्यमशीलता सहायता प्रदान करता है।

अनुलग्नक I

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 228 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक, जिसका उत्तर दिनांक 21.07.2025 को दिया जाना है ।

पीएमकेवीवाई योजना के अंतर्गत तमिलनाडु में प्रारंभ से लेकर दिनांक 30 जून, 2025 तक प्रशिक्षित/उन्मुख और प्रमाणित उम्मीदवारों की क्षेत्रवार संख्या नीचे दी गई है:

क्षेत्र का नाम	**प्रशिक्षित / अभिविन्यस्त**	**प्रमाणित**
एयरोस्पेस और विमानन	255	47
कृषि	21,713	16,041
परिधान	1,32,013	1,18,211
ऑटोमोटिव	26,669	21,365
सौंदर्य और कल्याण	46,101	36,374
बीएफएसआई	10,454	6,313
पूंजीगत वस्तुएँ	5,197	3,255
निर्माण	11,251	8,587
प्रशिक्षण महानिदेशालय	824	372
घरेलू कामगार	2,101	2,073
इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर	65,142	48,079
खाद्य प्रसंस्करण	12,895	10,328
फर्नीचर और फिटिंग	1,362	994
रत्न और आभूषण	25,812	21,186
ग्रीन जॉब्स	7,579	6,388
हस्तशिल्प और कालीन	8,379	7,536
स्वास्थ्य सेवा	19,955	14,778
हाइड्रोकार्बन	17,322	13,030
आईएएससी	3,833	3,062
बुनियादी ढाँचा उपकरण	7,991	6,531
लौह और इस्पात	597	415
आईटी-आईटीईएस	31,461	20,050
चमड़ा	1,19,190	98,521
जीवन विज्ञान	4,465	2,729
लॉजिस्टिक्स	58,159	48,305
प्रबंधन	22,469	18,244
मीडिया और मनोरंजन	50,455	48,341

खनन	400	309
पेंट और कोटिंग्स	1,110	1,023
दिव्यांग व्यक्ति	1,435	746
प्लंबिंग	5,575	3,827
बिजली	637	414
खुदरा	36,672	28,332
रबड़	26,147	19,997
खेल	30	-
दूरसंचार	24,165	18,749
वस्त्र और हथकरघा	59,213	49,136
पर्यटन और आतिथ्य	16,106	12,114
कुल	**8,85,134**	**7,15,802**

****